हिमाचल प्रदेश :

सरकार अधिकतम सीमा को और कम करने को उचित नहीं समझती, क्योंकि अधिनियम को पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है और साथ ही क्योंकि वर्तमान अधिकतम सीमा बहुत कम है।

पंजाब :

कृषि के मशीनीकरण को देखते हुए और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि जोतों पर अधिकतम सीमा गुजारे के लिए मुश्किल से काफी है।

राजस्थान :

सीमा को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पश्चिम बंगाल :

कि, सभी प्रकार की भूमि को अधिकतम सीमाओं के दायरे में लाया गया है, अतः अधिकतम सीमा क्षत्र स्वतः ही कम हो जाएगा।

केरल तथा उड़ीसा :

अधिकतम सीमाएं पहले ही ही राष्ट्रीय मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत सिफारिश की गई सीमा से कम हैं। उनको और कम करने की आवश्यकता नहीं है।

चंडीगढ़ :

अधिकतम सीमा को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दादरा एवं नागर हवेली :

अधिकतम सीमा को कम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पड़ौसी राज्यों में निर्धारित की गई अधिकतम सीमाओं के बराबर हैं।

दिल्ली :

वर्तमान अधिकतम सीमा उचित प्रतीत होती है।

पांडिचेरी :

प्रशासन इन्हें कम करने पर तब विचार करेगा जब तमिलनाडु ऐसा करने का निर्णय ले।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु द्वारा उनके द्वारा विचार किए गए मतों को अभी व्यक्त किया जाना है।

Royalty on minerals

2455. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the revision in the rates of royalty on minerals can be done once in three years;

(b) whether State Governments are pressing for amending the laws for revision of rates of royalty on minerals once in two yeors; and

(c) if so, what action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) to (c) In accordance with the amendments recently made to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the revision in the rates of royalty on minerals can be done once in any period of three years. When the proposals for such amendments were formualted, suggestions of the State Governments were given due consideration.

Incentives to farmers for more production

2456. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that with a view to encouraging farmers to grow more and to improve the financial condition of the cultivators the Central Government are contemplating to introduce some schemes; and